1/3/21	वकील वादीगण उपस्थित। S.D.O. साक्ष्य दी गई। कार्यों में व्यस्त है। पुकार उपरान्त वादी डिक्री हेतु 09/3/21 को पेश हो। ह०
09/3/21	वकील वादीगण उपस्थित। वादी मुताबिक बयान दावा फाइनल डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल हो कर हो। ह०
9/6/21	वकील वादी ने स्टाम्प ड्यूटी के साथ प्रार्थना पत्र बाबत डिक्री बनाये जाने का पेश किया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। ह०

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

व इजलास– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

उनवान

नम्बर अहकाम तामीलमे

मलाल पुत्र शंकर आयु 42 साल जाति माली निवासी महमदपुर तहसील सपोटरा जिला करौली जस्थान। –वादी

बनाम

1. हरेश, 2. नरेश, 3. रामनिवास — पिसरान जयलाल सभी जाति माली निवासीयान महमदपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
4. कल्लो पत्नि सीताराम पुत्री जयलाल जाति माली निवासी रामठरा तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
5. प्रेम पत्नि राधेश्याम पुत्री जयलाल जाति माली निवासी रामठरा तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
6. कृष्णा पत्नि मनोहर पुत्री जयलाल जाति माली निवासी नोंगांव आमकापुरा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज0
7. विकासी पत्नि लाराम पुत्री जयलाल जाति माली निवासी नोगांव आमकापुरा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
8. गंगाबाई पत्नि गुन्ना पुत्रह बुद्दि जाति माली निवासी मेला वारा करौली तहसील व जिला करौली राजस्थान।
9. हण्डो पत्नि हरिचरण माली पुत्री बुद्दि जाति माली निवासी मेला वारा तहसील व जिला करौली राजस्थान।
10. पप्पी पत्नि मनोहरी पुत्री बुद्दि जाति माली निवासी बडी उदेई तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
11. फट्टू, 12. परभाती — पि0 मांग्या जाति माली निवासी महमदपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
13. धापा बेवा बुद्दि जाति माली निवासी महमदपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
14. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सपोटरा जिला करौली राज0।
15. देवीसिह, 16. लाखन, 17. माखन — पुत्रान स्व0 रामचरण
18. भगवानी, 19. लीला, 20. नीरी, 21. मुक्ति — पुत्रीयान स्व0 रामचरण

सभी जाति माली निवासीयान महमदपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बरः– 40/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कआई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री शेरसिह एड0 वकील वादी मिनजानिब मुददई रूबरू श्री राजेन्द्र सोनी एड0 एवं श्री मदनमोहन गुप्ता एड0 वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म किया जाता है व डिगरी दी जाती है किः– दावा वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिकी किया जाकर विवादित आराजी ग्राम महमदपुर का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. प्रतिवादी सं0 15 लगायत 21 देवीसिह,लाखन,माखन पि0 रामचरण उर्फ ठोंटी भगवानी लीला रामनिरी मुक्ति पुत्रीयान रामचरण उर्फ ठोंटी हिस्सा 1/5 एवं प्रतिवादी सं0 13, 8 ता 10 धापा पत्नि स्व0 बुद्दि गंगाबाई हण्डों पप्पी पुत्रियां बुद्दी हिस्सा 4/5 जाति माली सा0देह के हिस्से में ख0नं0 357/1 रकबा 15 बिस्वा रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी सपोटरा,जिला–करौली

Scanned with CamScanner

2. वादी रामलाल पुत्र शंकर हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 हरेश, नरेश, रामनिवास पि0 जयलाल कल्लो प्रेम कृष्णा विकासी पुत्रियां जयलाल हि0ब0 1/2 जाति माली साकिन देह के हिस्से मे खसरा नं0 357/3 रकबा 15 बिस्वा रहेगा।
3. प्रतिवादी सं0 11 व 12 फट्टू, परभाती पि0 मांग्या हि0ब0जाति माली सा0देह के हिस्से मे खसरा नं0 357/4 रकबा 15 बिस्वा रहेगा।
4. खसरा नं0 357/2 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं0 372 रकबा 02 बिस्वा गै0मु0चाह उपरोक्त वादी एवं प्रतिवादीगण सभी का यथावत शामलाती रहेगा।

निज............मुबलिग............................बाबत्.....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वशरह............फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का ....अदा करें।

... मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.06.2021 को जारी की गई।

09.06.2021

(ओमप्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मुददई	रूपया	मुददायलह	रूपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा		1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टॉम्प वकालतनामा		2. स्टॉम्प अर्जी	
3. स्टॉम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहान	
5. खर्चा गवाहान		5. फीस कमीश्नर	
6. फीस कमीश्नर		6. बबत् इजराय हुक्मनामा	
7. बबत् इजराय हुक्मनामा		7. मुतफर्रिक	
8. मुतफर्रिक			
मीजान		मीजान	
जोड़		जोड़	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी – श्री ओमप्रकाश मीना आर ए एस उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख फाईनल निर्णय
40 / 17	दावा	14.07.17	09.03.2021

रामलाल पुत्र शंकर आयु 42 साल जाति माली निवासी महमदपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. हरेश
2. नरेश
3. रामनिवास

पिसरान जयलाल सभी जाति माली निवासीयान महमदपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

4. कल्लो पत्नि सीताराम पुत्री जयलाल जाति माली निवासी रामठरा तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
5. प्रेम पत्नि राधेश्याम पुत्री जयलाल जाति माली निवासी रामठरा तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
6. कृष्णा पत्नि मनोहर पुत्री जयलाल जाति माली निवासी नोगांव आमकापुरा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज0
7. विकारी पत्नि लाराम पुत्री जयलाल जाति माली निवासी नोगांव आमकापुरा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
8. गंगाबाई पत्नि मुन्ना पुत्रह बुद्धि जाति माली निवासी मेला वारा करौली तहसील व जिला करौली राजस्थान।
9. हण्डो पत्नि हरिचरण माली पुत्री बुद्धि जाति माली निवासी मेला वारा तहसील व जिला करौली राजस्थान।
10. पप्पी पत्नि मनोहरी पुत्री बुद्धि जाति माली निवासी बडी उदेई तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
11. फट्टू
12. परभाती

पि0 मांग्या जाति माली निवासी महमदपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

13. धापा बेवा बुद्धि जाति माली निवासी महमदपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
14. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सपोटरा जिला करौली राज0।
15. देवीसिंह
16. लाखन
17. माखन

पुत्रान स्व0 रामचरण

18. भगवानी
19. लीला
20. नीरी
21. मुक्ति

पुत्रीयान स्व0 रामचरण

सभी जाति माली निवासीयान महमदपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित:– श्री शेरसिंह एड0 वकील वादी।

श्री राजेन्द्र सोनी एड0 वकील प्रति0 सं0 1 ता 10,13 व 15 ता 21 की ओर से।

श्री मदनमोहन गुप्ता एड0 वकील प्रति0 सं0 11,12 की ओर से।

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि ग्राम महमदपुर तहसील सपोटरा की आराजी विवादित वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 12 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी का बंटवारा बाबत् किया गया दावा इस न्यायालय के प्राथमिक निर्णय दिनांक 1

Scanned with CamScanner

06.2020 द्वारा दावा मुताबिक राजीनामा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांक:एलआर/2020/2156 दिनांक 27.07.2020 द्वारा ग्राम महमदपुर की बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई, अवलोकन किया गया। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण भी मुताबिक बंटवारा स्कीम दावा वादी फाईनल डिकी किये जाने हेतु सहमत है। वादी एवं प्रतिवादीगण भी मुताबिक बंटवारा स्कीम दावा वादी फाईनल डिकी किये जाने हेतु सहमत है। अतः दावा वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिकी किया जाकर विवादित आराजी का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. प्रतिवादी सं0 15 लगायत 21 देवीसिह,लाखन,माखन पि0 रामचरण उर्फ ठोंटी भगवानी लीला रामनिरी मुक्ति पुत्रीयान रामचरण उर्फ ठोंटी हिस्सा 1/5 एवं प्रतिवादी सं0 13, 8 ता 10 धापा पत्नि स्व0 बुद्वि गंगाबाई हण्डों पप्पी पुत्रियां बुद्वी हिस्सा 4/5 जाति माली सा0देह के हिस्से में ख0नं0 357/1 रकबा 15 बिस्वा रहेगा।
2. वादी रामलाल पुत्र शंकर हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 हरेश, नरेश, रामनिवास पि0 जयलाल कल्लो प्रेम कृष्णा विकासी पुत्रियां जयलाल हि0ब0 1/2 जाति माली साकिन देह के हिस्से मे खसरा नं0 357/3 रकबा 15 बिस्वा रहेगा।
3. प्रतिवादी सं0 11 व 12 फट्टू परभाती पि0 मांग्या हि0ब0जाति माली सा0देह के हिस्से मे खसरा नं0 357/4 रकबा 15 बिस्वा रहेगा।
4. खसरा नं0 357/2 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं0 372 रकबा 02 बिस्वा गै0मु0चाह उपरोक्त वादी एवं प्रतिवादीगण सभी का यथावत शामलाती रहेगा।

बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिकी का जुज रहेगा। आराजी विवादित के लगान राशि के सात गुना पर 11 प्रतिशत की दर से देय स्टॉम्प ड्यूटी पेश होने पर डिकी जारी हो।

(ओमप्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned with CamScanner